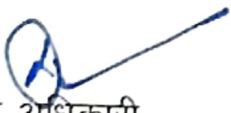
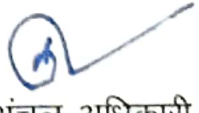


अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-121/16-17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4 (H) के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा-चन्द्रपुरा, थाना संख्या-254 खाता संख्या-16 दाग संख्या 00 रकवा 03-13-02 धूर भूमि, का पंजी-II रैयत द्वारा लगान धार्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। लगभग 50 वर्षों से शांतिपूर्ण दखल भोग है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दाग की भूमि के विरुद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4 (H) के तहत परिचालित कार्यवाही को स्थगित करने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा-चन्द्रपुरा, थाना संख्या-254 खाता संख्या-16 दाग संख्या 00 रकवा 03-13-02 धूर भूमि, के विरुद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4 (H) के तहत परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या-131/16-17 को संस्थित/बन्द किया जाता है।  अंचल अधिकारी महेशपुर  अंचल अधिकारी महेशपुर	

नोट:-तकनीकी भूलवश यह वाद Transfer हो गया था जबकि यह Allow होना है। अतः इस वाद को Allow किया जाता है।